आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00327

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ एवं विभाजन

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 232/2013 (इन्द्रसिंह बनाम नन्दू वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 05.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.09.2015 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश कमांक भू0अ0/2022/258 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्तावानुसार इन्द्रसिंह ने अपनी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र राकेश बागड़ी को बेचान कर दी है। अतः इन्द्रसिंह के हिस्से की भूमि का इन्द्राज क्रेता के पक्ष में किया जावे। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिकी दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिकी का भाग रहेगा।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 05.04.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर